कार्यालय महाप्रबन्धक , जिला उद्योग केन्द्र द्वारा संचालित योजनाऐं :–

—————————————————————————————

<u>**वेव आधारित एकल मेज व्यवस्था :–**</u> एकल मेज व्यवस्था जिसके तहत उद्यम स्थापित करने वाले उद्यमियों को प्राप्त होने वाले विभिन्न विभागों से लाईसेस , अनापत्ति , सहमति को केन्द्रीकृत करके जिला उद्योग केन्द्र को नोडल कार्यालय बना दिया गया है तथा सोमवार से वृहस्पतिवार तक उद्यमियों द्वारा विभिन्न विभागों से सम्बन्धित आवेदन पत्र कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र में जमा किये जाते है तथा ाुक्रवार को सभी सम्बन्धित विभागों के नोडल अफीसर्स कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र से सम्बन्धित आवेदन पत्र एकत्र करके अग्रिम कार्यवाही हेतु अपने विभाग को ले जाते है तथा निर्धारित समयावधि में अग्रिम स्वीकृति / अनापत्ति/ आपत्ति/सहमति की कार्यवाही कर प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराते है । इस विभाग द्वारा उद्योग को स्थापित करने एवं संचलान हेतु पावती पार्ट–1 एवं पार्ट–2 जारी की जाती है । पार्ट–1 की वैद्यता 2 व ा की होती है जो कि प्रस्तावित उद्योग हेतु प्रदान की जाती है एवं कार्यरत उद्योगों को पावती पार्ट–2 जारी किया जाता है । इसी कार्य प्रणाली को त्वरित गति से करने के लिये इस प्रणाली को अब वेव आधारित कर दिया गया है वेव साईट http//:singletable.up.nic.in पर उद्यमी उद्यम स्थापित करने हेतु सभी आवश्यक आवेदन पत्र प्राप्त / इन्द्राज कर सकते है । एकल मेज स्वीकृतियों की निर्धारित समयावधि का विवरण उपरोक्त वेव साईट पर है ।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

भारत सरकार ने 31.3.08 तक बेरोजगार उन्मूलन हेतु परिचालन में रही दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर ग्रामीण एवं ाहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना से देश के परम्परागत कारीगरों, ग्रामीण एवं ाहरी बेरोजगार व्यक्तियों के लिये दीर्धकालिक रोजगार सृजन करने के उद्‌देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम नामक एक नई ऋण सहबद्ध सब्सिडी योजना की ुरूआत की है । रा ट्रीय सूक्ष्म लधु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समग्र रूप से योजना की निगरानी एवं प्रशासनिक नियंत्रण में यह योजना रा ट्रीय स्तर पर एक मात्र नोडल अभिकरण के रूप में खादी एवं गम्रमोद्योग आयोग द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।

राज्य स्तर पर यह योजना जिला उद्योग केन्द्रों के माध्यम से ाहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में तथा राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग निदेशालय तथा राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत सरकारी सब्सिडी खादी ग्रामोंद्योग आयोग द्वारा चुने गये बैको के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा चयनित लाभार्थियों एवं उद्यमियों को उनके बैक खाते के माध्यम से वितरित की जाती है। इस योजना के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र की परियोजना के लिये 10 लाख रू0 तक की एवं उद्योग (विनिर्माण) क्षेत्र के लिये 25 लाख तक की परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाता है । 18 व र्ा से अधिक आयु का कोई भी आवेदक इसके लिये पात्र है ।
सब्सिडी निम्नवत है :–

योजना के अन्तर्गत लाभार्थियो की श्रेणी	लाभार्थी का अंशदान	सब्सिडी की दर – परियोजना की लागत में	
क्षेत्र परियोजना/ इकाई की अवस्थिति		ाहरी	ग्रामीण
सामान्य श्रेणी	10:	15:	25:
विशे ा – अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडे वर्ग/ अल्पसंख्यक/महिला, पूर्व सैनिक, ाारीरिक रूप से विंकलाग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, पहाडी एवं सीमावर्ती क्षेत्र आदि	05:	25:	35:

कार्यान्वयी अभिकरण अर्थात खादी ग्रामोद्योग आयेाग , खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं जिला उद्योग केन्द्र , द्वारा योजना के कार्यान्वयन में जैसे लाभार्थियों का चयन क्षेत्र विशि ट हेतु लाभप्रद परियोजनाओं की पहचान एवं बैकों के साथ समन्वय स्थापित करने और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रति ठत सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों में /प्रति ठत स्वायत्त संस्थाओं / स्वय सहायता समूहों / रा ट्रीय लधु उद्योग निगमों / राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध उद्यमी मित्रों पंचायती राज संस्थाओं एवं अन्य सम्बन्घित निकायों को अपने साथ सम्बद्ध कर योजना का किय्रान्वयन किया जा रहा है ।

तकनीकी उन्नयन योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को त्वरित औद्योगिक विकास एवं प्रतिस्पर्धा क्षमता को विकसित करने, आधुनिकतम तकनीकी के आयात/क्रय एवं गुणवत्ता में वृद्धि तथा उत्पादाकता में सुधार के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी उन्नयन (टैक्नोलोजी अपग्रडेशन) योजना 16–.01–2007 से लागू की गई है , जो पांच व र्ा तक अनुमन्य है । इसमें इकाई के तकनीकी उन्न्यन हेतु आर्थिक सहायता का प्राविधान है ।

कलस्टर – उद्योगों के सामूहिक विकास हेतु जनपद के निम्नांकित 02 कलस्टर्स का चयन हो चुका है।
1– टेक्सटाईल प्रिन्टिग उद्योग , पिलखुआ ।
2– साहिबाबाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग उद्योग – साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद।

मूढा तकनीकी उन्नयन केन्द्र – जनपद गाजियाबाद में गढमुक्तेश्वर क्षेत्र मूढा उद्योग जो कि इस क्षेत्र का परम्परागत उद्योग है और विश्वविख्यात है को तकनीकी रूप से सबल बनाने के लिये कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र गाजियाबाद द्वारा इस क्षेत्र में मूढा तकनीकी उन्नयन केन्द्र की स्थापना की गई है जिसके माध्यम से इस कार्य में लगे हुये लोगों को प्रशिक्षित प्रशिक्षको के माध्यम से उन्नत किस्म के मूढा निर्माण हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ।

अनुसूचित जाति सब ट्राईब्ल सब प्लान योजना :– इस योजना के अन्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति के नवयुवको एवं नवयुवतियों को कम्पयूटर का चार मास का विशे ा प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यालय द्वारा तकनीकी संस्थान के माध्यम से चलाया जा रहा है तथा इसमें प्रशिक्षण के दौरान मानदेय तथा प्रशिक्षण उपरांत टूल किट प्रदान करके प्रशिक्षार्थियों को स्वरोजगार युक्त बनाने का प्राविधान है । इस योजना के तहत विभिन्न ट्रेड के अभी तक पॉच बैचों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है तथा छठा बैच चल रहा है।

उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम :– इस योजना के तहत जनपद के नवयुवको/नवयुवतियों में उद्यमकर्ता विकास हेतु कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र, गाजियाबाद द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी संथाओं के सहयोग से 1 दिवसीय , 2 सप्ताहिक, 04 साप्ताहिक एवं 06 साप्ताहिक कार्यक्रमों का आयोजन जनपद के विभिन्न शिक्षण संस्थाओं एवं विकास खण्ड स्तर पर किया जाता है ।

राजकीय प्रशिक्षण एवं प्रसार केन्द्र :– कार्यालय में स्थपित इस केन्द्र के द्वारा जनपद के बेरोजगार नवयुवको को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हे तकनीकी रूप से शिक्षित एवं प्रशिक्षित किया जाता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता / वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाईडर (वी0टी0पी0) – एस0डी0आई योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र सरकार , राज्य सरकार निजी एवं सर्वजनिक क्षेत्र तथा औद्योगिक प्रति ठानों के अन्तर्गत विभिन्न वीटीपी द्वारा प्रदान किया जाता है । इसके अन्तर्गत पंजीकृत वीटीपी को विभिन्न पाठ्यक्रम के विभिन्न माडूयूल के संचालन कर परामर्श एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन, निर्धारित मानको के अनुसार प्रशिक्षण सुविधाऐं तथा अच्छी गुणवत्ता का प्रशिक्षण प्रदान करेगें एवं इन प्रशिक्षार्थियों को सर्टीफाई करा कर उद्योग हेतु आवश्यक कुशल कारीगर तैयार करेगें ।

अन्तर्रा ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिए विभिन्न योजना / प्रोत्साहन :–

क्र0सं0	योजना	योजना की पात्रता एवं लाभ
1	विदेशी व्यापार मेला/प्रदर्शनी में भाग लेने वाली निर्यातक इकाईयों के लिए अनुदान सहायता ।	स्थल किराये का 60 प्रतिशत् तथा वायुयान किराये का 50 प्रतिशत् केवल एक व्यक्ति हेतु अधिकतम सीमा रू0 50,000/– अधिकतम सीमा रू0 1 लाख रू0 प्रति निर्यातक
2	निर्यात उत्पाद के प्रचार–प्रसार सामग्री हेतु जैसे कैटलॉग, विज्ञापन, आदि ।	कुल व्यय का 60 प्रतिशत् या अधिक सीमा रू0 60,000/– प्रति निर्यातक प्रति व र्ा
3	विदेशी क्रेता को नमूने भेजने हेतु सहायता ।	वायुयान या कोरियर से नमूना भेजने के व्यय का 75 प्रतिशत् या 50,000/– रू0 प्रति निर्यातक प्रति व र्ा ।
4	निर्यातक इकाईयों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु आई0एस0ओ0 9000 / बी0आई0एसव0 14000 श्रेणी हेतु सहायता ।	कुल व्यय का 50 प्रतिशत् या अधिकतम सीमा रू0 75,000/– प्रति निर्यातक प्रति व र्ा ।
5	गेट वे पोर्ट तक भेजे गये	पात्र इकाई सूक्ष्म एवं लघु श्रेणी की इकाईयों

	माल के भाड़े पर अनुदान ।	हेतु भाड़े का 25 प्रतिशत अधिकतम् सीमा रू0 5000/– प्रति टी0ई0यू0(20 फिट कन्टेनर) की दर , जिसकी प्रति निर्यातक प्रतिव र्ा अधिकतम् सीमा रू0 10.00 लाख तक होगी ।
6	निर्यात पुरस्कार योजना	आवेदन –पत्र निर्धारित प्रारूप पर ार्ते :– 1 निर्यातक इकाई निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरों में पंजीकृत हो 2– इकाई ने कम से कम रू0 30.00 का प्रत्येक व र्ा अलग–अलग निर्यात रहा हो। 3– एक निर्यातक इकाई केवल एक ही श्रेणी में आवेदन करने हेतु पात्र होगी ।

<u>राज्य निर्यात पुरस्कार योजना –</u> प्रदेश के निर्यातको को त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निर्यात पुरस्कार योजना प्रारंभ की गई है जिसके अन्तर्गत पुरस्कार व र्ा के विगत दो व ार्ो की एफ0ओ0बी0 मूल्य के आधार पर पुरस्कार हेतु इकाई का चयन किया जायेगा ।

पुरस्कार चयन हेतु निम्न संलग्न आवश्यक है

1– निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरों का पंजीकरण

2– विगत दो व ार्ो का एफ0ओ0बी0 मूल्य सी0ए0 से प्रमाणित ।

स्टार कैटेगरी योजना :–

प्रदेश के उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु ाासन द्वारा स्टार कैटेगरी योजना संचालित की गई है जिसमें इकाई को उपलब्धियों के आधार पर एक से सात स्टार श्रेणी में अलकृत किये जाने का प्राविधान है । ाासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के ऐसे उद्योगों जिन्होनें निम्न लालिका के अनुसार पूॅजी निवेश किया हो या निर्यात किया हो के साथ–साथ जो निर्धारित ार्तो को भी पूर्ण करती हो स्टार उद्योग कहा जायेगा ।

स्टार वर्गीकरण	ऋण	पूॅजी निवेश	निर्यात
*	5 लाख	10 लाख	1 करोड़ तक
**	20 लाख	30 लाख	3 करोड
***	1 करोड़	2 करोड	5 करोड़
****	10 करोड़	20 करोड़	20करोड़
*****	50 करोड़	100 करोड़	50 करोड़
******	100 करोड़	200 करोड़	100 करोड़

*******	250 करोड़	500 करोड़	200 करोड़

निर्धारित ार्ते :–

1– इकाई ने पिडले 03 व ों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो ।

2– इकाई पर किसी वित्तीय संस्था का कोई बकाया न हो अर्थात किस्ते समय से भुगतान की गई हो।

3– इकाई पर कोई ाासकीय देय , विद्युत परि ाद के देयों को सम्मिलित करते हुये , ो ा न हो ।

4– निर्यात मूलक इकाई के लिये निर्धारित पूॅजी निवेश के विरूद्ध निर्धारित निय्रत किया गया हो ।

स्टार कैटेगरी का प्रमाण पत्र दो व ों के लिये दिया जायेगा और दो व ोा के पश्चात इकाई की उपलब्धि का आकंलन पुनः किया जायेगा ।

स्टार कैटेगरी के उद्योगों को निम्न सुविधाऐं दी जायेगी :–

1– स्टार कैटेगरी की उच्चतम चार श्रेणी की इकाईयों को विद्युत विभाग के पीक आवर्स प्रतिबन्ध से मुक्त रखा जायेगा ।

2– स्टार कैटेगरी इकाईयों को अतिरिक्त विद्युत भार प्राथमिकता के आधर पर स्वीकृत किया जायेगा ।

3– स्टार कैटेगरी प्रमाण पत्र प्राप्त उद्योगों को यू0पी0एस0आई0डी0सी0 व उद्योंग निदेशक द्वारा विकसित औद्योगिक भूखण्डों /शैडों के आवंटन में वरीयता दी जायेगी ।

4– स्टार कैटेगरी प्रमाण पत्र प्राप्त उद्योगों को पिकप व उ0प्र0 वित्तीय निगम द्वारा अतिरिकत ऋण स्वीकृत किये जाने में वरीयता दी जायेगी ।

5– स्टार कैटेगरी प्रमाण पत्र ऐसे उद्योगों जिनके विरूद्ध कर अपवचन का कोई प्रमाण न हो व बिक्रीकर बकाया न हो , द्वारा बिक्री कर फार्म में घोि ात सम्पूर्ण विक्रय धन बिक्रीकर विभाग द्वारा स्वीकार कर लिया जायेगा किन्तु ऐसे उद्योगों द्वारा बिक्री के नक्शों में मांगी गई छूट के प्रमाण में फार्म या प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा । जॉच में फार्म तथा प्रमाण पत्र नियमानुसार सही पाये जाने पर नक्शों में धोि ात बिक्री को स्वीकार किया जायेगा । ऐसे उद्योगों के अभिलेख की जॉच 05 व ा में एक बार रेण्डम आधार पर की जायेगी ।

<u>प्रदेश में रूग्ण लघु औद्योगिक इकाईयों के पुनर्वासन हेतु योजना । (बीमार इकाई)</u>

1– आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर :

<u>2– लघु स्तरीय औद्योगिक इकाईयों को निम्नलिखित परिस्थितियों में रूग्ण माना जायेगा :</u>

क– इकाई का कोई ऋण खाता छः माह से अधिक समय तक सब स्टैण्डर्ड रहा हो अर्थात इसके किसी ऋण खाते का मूल धन या ब्याज एक व ा से अधिक अवधि से अतिदेय रहा हो ।

ख– संचित नकद हानियों के कारण पूर्ववृति लेखा व ा में इसके वास्तविक मूल्य (नेट वर्थ) में इसके अधिकतम वास्तविक मूल्य (पीक नेटवर्थ) के 50 प्रतिशत के अधिक का अपक्षरण हुआ हो ।

ग– इकाई कम से कम दो व   र्ों तक व्यवसायिक उत्पादन में रही हो ।

लघु उद्यमियों के लिए प्रादेशिक पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु योजना ।

1– आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ।

2– लधु उद्यमियों को प्रादेशिक पुरस्कार प्रदान करने हेतु   र्तें ।

क– पुरस्कार व र् के पिछले 5 व र्ों की अवधि में इकाई स्थापित हो तथा एम0एस0एम0ई अधिनियम 2006 के अन्तर्गत पार्ट – ।। में पंजीकृत हो ।

ख– पुरस्कार व र् के पिछले 3 व र्ों से इकाई नियमित रूप से उत्पादन में हो ।

ग– भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य योजनान्तर्गत इकाई को पुरस्कृत न किया गया हो ।

राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना :–

प्रथम पीढी के उन सम्भावित उद्यमियों जिन्होंनें ई0डी0पी0 /एस0डी0पी0 /वी0टी0 कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है को, उद्यमी मित्र अर्थात चयनित ीर् संस्थाओं के माध्यम से , नये उद्यमों की स्थापना और प्रबन्धन में विभिन्न प्रक्रियात्मक और कानूनी बाधाओं से निपटने तथा अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने में पथ – प्रर्दशन और सहयोग उपलब्ध कराना है ।

हस्तशिल्प रा ट्रीय पुरस्कार योजना – इस योजना के अन्तर्गत जनपद के उत्कृ ट हस्तशिल्पियों की कलाकृति का चयन केन्द्रीय चयन समिति विकास आयुक्त हस्तशिल्प भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा रा ट्रीय स्तर पर किया जाता है । ये सभी उत्कृ ट हस्तशिल्पियों द्वारा बनायी गयी कलाकृतियों के साथ भाग लेने के लिए अधिकृत है ।

हस्तशिल्प प्रादेशिक/दक्षता पुरस्कार योजना :– इस योजना अन्तर्गत प्रति व र् जनपद के दक्ष हस्तशिल्पियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह पुस्कार प्रदान किया जाता है । प्रादेशिक पुरस्कार के अन्तर्गत हस्तशिल्पी को 20 हजार एवं दक्षता पुरस्कार के अर्न्तगत रू0 10 हजार का पुरस्कार प्रदान किये जाने का प्राविधान है ।

अ– मैरिट एवार्ड (दक्षता पुरस्कार) हेतु   ाासन द्वारा रू0 10,000 /– की धनराशि प्रदान की जाती है ।

ब– राज्य पुरस्कार हेतु   ाासन द्वारा रू0 20,000 /– की धनराशि प्रदान की जाती है ।

विशि ट शिल्पकारों के लिये पेंशन योजना – इस योजना के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय उ0प्र0 द्वारा जनपद के विशि ठ हस्तशिल्पियों को रू0 1000 तक की मासिक पेशन दिये जाने का प्राविधान है। पेंशन हेतु निम्न पात्रताऐं :–

अ– भारत सरकार द्वारा शिल्प गुरू में चयनित हस्तशिल्पी ।

अथवा

रा ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार/ राज्य सरकार के हस्तशिल्प पुरस्कार / दक्षता प्रमाण–पत्र प्राप्त हस्तशिल्पी ।
ब– न्यूनतम् आयु 50 व र्ा अधिकतम् कोई सीमा नही ।
स– ाारीरिक तथा विकलांग शिल्पकार/ दस्तकार को न्यूनतम आयु सीमा में 10 व र्ा की छूट (मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र के आधार पर ।
जनपद स्तर पर 03 हस्तशिल्पियों को उपरोक्त पेशन का लाभ दिया जा रहा है ।

हस्तशिल्पियों के लिये आई0डी0 कार्ड योजना – इस योजनान्तर्गत हस्तशिल्पियों के आई0डी0 कार्ड विकास आयुक्त हस्तशिल्प के माध्यम से जारी किये जाते हैं । इस आई0डी0 के माध्यम से हस्तशिल्पीयों को रा ट्रीय बैको से रू0 2.00 लाख तक का क्रेड्रिट कार्ड हस्तशिल्पी को उपलब्ध कराती है । जनपद स्तर पर कुल 366 आई0डी0 कार्ड जारी किये जा चुके है ।
अ– आई0डी0 कार्ड जिला उद्योग केन्द्र द्वारा हस्तशिल्पियों को कार्यालय आयुक्त वस्त्र मंत्रालय, अम्बाला रोड, सहारनपुर ।
ब– हस्तशिल्पियों को रा ट्रीयकृत बैंकों से क्रेडिट कार्ड जारी कराकर रू0 2.00 लाख तक ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है ।

क्रसं	अधिकारी / कर्मचारी के नाम	पदनाम	धनराशि	खाता सं0	इतिशे ा
1	2	3	4		6
1	श्री विजेन्द्र कुमार	प्रबन्धक	500		
2	श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह	प्रबन्धक	500		
3	,, एस0एन0 तिवारी	,,	500		
4	,, जे0डी0 भोगलीवाल	,,	500		
5	श्री मो0 जहीर	सहायक प्रबन्धक	500		
6	श्री जगदीश सिंह	,,	500		
7	श्री एसएस कुशवाहा	,,	500		
8	श्री आर0के0 सागर	,,	500		
9	श्री एस0के0 तिवारी	,,	500		
10	श्री जे0पी0एस0 भाटी	,,	500		
11	श्री वी0के0 मिश्रा	मु0लेखा निरीक्षक			
12	श्री मलखान सिंह	सं0 सहायक			
13	श्री उत्तम कुमार तिवारी	संगणक			
14	श्री राम आसरे	औ0 पर्यवेक्षक			
15	श्री दिनेंश दत्तार्मा	वरि0 लिपिक			
16	श्री ए0के0 तिवारी	वरि0 प्रशिक्षक			
17	श्री लखीराम	आशुलिपिक			
18	श्री राजीव यादव	,,			
20	,, एन0के प्रधान	प्रधान लिपिक			
21	श्री राजेंश कुमार ार्मा	वरिष्ठ लिपिक			
22	श्री धर्मपाल सिंह	वरिष्ठ लिपिक			
23	श्री भूप सिंह	,,			

24	श्रीमति संगीता जैन	क0लिपिक			
25	श्री प्रसून भारद्वाज	क0 लिपिक			
26	डा0 विरेन्द्र कुमार	सुपरवाईजर औ0 आस्थान			
27	रमेश चंद	मैकैनिक			
28	श्री संतो ा कुमार अवस्थी	वाहन चालक			
29	श्री हाकिम सिंह	अनुचर			
30	,, राजपाल सिंह	अनुचर			
31	,, दर्शन सिंह	,,			
32	श्रीमती रजनी	,,			
33	,, माला	,,			
34	,, किरन लता	,,			
35	,, राम किशन	स्वच्छकार			
36	,, गौतम सिंह	अनुचर			
37	,, पप्पू	स्वच्छकार			

कार्यालय जिला उद्योग केन्द्र गाजियाबाद में तेनात कार्मिको का विवरण (एनेक्जर –2)				
कसं	अधिकारी / कर्मचार का नाम	पदनाम	कार्य	कुल प्राप्त होने वाली मासिक परिब्धियों का विवरण
1	श्री एस0एन0 तिवारी	महाप्रबन्धक	प्रशासनिक एवं आहरण वितरण अधिकारी	47859
2	आर0पी0 सिंह	प्रबन्धक	आवंटित क्षेत्र का औद्योगिक विकास कार्य एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा	47859
3	आर0के जैन	प्रबन्धक	आवंटित क्षेत्र का औद्योगिक विकास कार्य एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा	47859
4	प्रदीप प्रधान	प्रबन्धक	आवंटित क्षेत्र का औद्योगिक विकास कार्य एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा	47859
5	प्रदीप कुमार गोयल	प्रबन्धक	आवंटित क्षेत्र का औद्योगिक विकास कार्य एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा	47859
6	,, जे0डी0 भोगलीवाल	प्रबन्धक	आवंटित क्षेत्र का औद्योगिक विकास कार्य एवं विभागीय योजनाओं की समीक्षा	48609
7	श्री जगदीश सिंह	सहायक प्रबन्धक	आवंटित क्षेत्र का औद्योगिक विकास कार्य	43570
8	श्री एसएस कुशवाहा	सहायक प्रबन्धक	आवंटित क्षेत्र का औद्योगिक विकास कार्य	30348
9	निर्मल गुप्ता	स0प्रबन्धक	आवंटित क्षेत्र का औद्योगिक विकास कार्य	47859
10	सुबोघ कुमार	स0 प्रबन्धक	आवंटित क्षेत्र का औद्योगिक विकास कार्य	37435
11	श्री आर0के0 सागर	सहायक प्रबन्धक	आवंटित क्षेत्र का औद्योगिक विकास कार्य	44513
12	श्री राम आसरे	औ0 पर्यवेक्षक	आवंटित क्षेत्र का औद्योगिक विकास कार्य	24740
13	श्री दिनेंश दत्त ार्मा	वरि0 लिपिक	डायरी डिस्पेच	21750
14	श्री ए0के0 तिवारी	वरि0 प्रशिक्षक	प्रशिक्षक	22594
15	श्री लखीराम	आशुलिपिक	एम0एस0एम0ई0डी0 एक्ट के अन्तर्गत पार्ट–2 के मेमोरेण्डा आवेदन पत्र के समस्त कार्य ।अम्बेडकर ग्रामों तथा महाप्रबधक के नोडल अधिकारी के सभी सत्यापन कार्य । अल्प बचत एवं वृक्षारोपण एवं फ्रेम लिस्ट तैयार करना । तकनीकी उन्नयन ।	29484
16	श्री राजीव यादव	आशुलिपिक	कैम्प सम्बंधी समस्त कार्य । तहसील दिवस, कम्प्यूटर कार्य ।एम0एस0एम0ई0डी0 पार्ट–1 एव पार्ट–2 टाईप कार्य , समस्त मासिक प्रगति तेयार करना/प्रे ाण। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के कार्य । दूरभा ा सूनना, रख रखाव का कार्य । फैक्स रिसीव करना । ई–मेल का समस्त कार्य । महाप्रबंधक की समस्त बैठकें । तहसील हापुड़ एवं गढ़ के 220 इकाईयों की सूची के अनुसार प्रदू ाण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करना । आशुलेखन	17815
17	,, एन0के प्रधान	प्रधान लिपिक	स्थापना सम्बंधित समस्त कार्य ।समस्त मीटिंग की फाईल तैयार कर महाप्रबधक के समक्ष प्रस्तुत करना । एस0सी0पी0 ट्रेनिंग । पी0एम0ई0जी0वाई0 योजना का समस्त कार्य ।विभागीय निरीक्षण/अनुपालन आख्या / सम्बंधित समस्त कार्य विधान सभा, राज्यसभा प्रश्न, लोक सभा , विधान परि ाद ,आडिट पैरा । तहसील हापुड़ एवं गढ़ के पार्ट–1 आवेदन पत्र से सम्बंधित समस्त कार्य । एच0एस0डी0 भण्डारण पत्रावलियां ।टी0ए0 बिल्स, एस0पी0एस0 चैकिंग	23195
18	श्री राजेंश कुमार ार्मा	वरिष्ठ लिपिक	एम0एस0एम0ई0 एक्ट के अन्तर्गत गाजियाबाद एवं मोदीनगर तहसील की पार्ट–1 के मेमोरेण्डा आवेदन पत्र से सम्बंधित समस्त कार्य । स्टार कैटेगरी, रूग्ण इकाई,, लाईब्रेरी , प्रादेशिक पुरस्कार ।	22844
19	श्री धर्मपाल सिंह	वरिष्ठ लिपिक	औद्योगिक आस्थान, कोर्ट केस, कलस्टर, 220 इकाईयों की तहसील गा0बाद, मोदीनगर की 220 इकाईयों की सूची अनुसार प्रदू ाण अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत,मूढ़ा प्रशिक्षण सम्बंधित पत्रावली का कार्य ।	22844
20	श्री भूप सिंह	वरिष्ठ लिपिक	बिल बीजक सम्बंधित समस्त कार्य	18762
21	श्रीमति संगीता जैन	क0लिपिक	औद्योगिक ऋण, जी0पी0एफ0, पास बुक, रखरखाव, व्यापार कर छूट एवं पी0एम0ई0जी0पी0 योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण का कार्य	18392
22	श्री प्रसून भारद्वाज	क0 लिपिक	कैश ,एकल मेज व्यवस्था के अन्तर्गत सभी आवेदन पत्र प्राप्त करना एवं सम्बंधित नोडल अधिकारी को हस्तगत कराना । उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उद्योग बंधु की समस्त बैठकों का आयोजन ।	15806
23	श्री अनित सैनी	प्रशिक्षक	प्रशिक्षण	11850
24	डा0 विरेन्द्र कुमार	सुपरवाईजर	औद्योगिक विकास कार्य	12864
25	रमेश चंद	मैकैनिक	कार्यालय काय ,	17603
26	श्री संतो ा कुमार अवस्थी	वाहन चालक	वाहन चालक	21512
27	,, राजपाल सिंह	टेकनिकल अटै0	दफतरी	15357
28	,, दर्शन सिंह	अनुचर	अनुचर	13816
29	श्रीमती रजनी	अनुचर	अनुचर	13249
30	,, माला	अनुचर	अनुचर	13074
31	,, किरन लता	अनुचर	अनुचर	12561
32	,, राम किशन	स्वच्छकार	अनुचर	14896
33	,, गौतम सिंह	अनुचर	अनुचर	12723
34	,, पप्पू	स्वच्छकार	अनुचर	13315
35	मनोज कुमार गुप्ता	क0 लिपिक	टंकन कार्य	19393
36	पाम्पी दास	जे0 आई0	आई0आई0पी0 डाटा एकत्रीकरण एवं प्रे ाण । सेन्सस से सम्बंधित समस्त कार्य , एसाइड योजना सम्बंधी कार्य , आई0ई0एम0/एल0ओ0आई0 , रोजगार सृजन	22126
37	राजेन्द्री देवी	क0 लिपिक	महिला उद्यमी , राजीव गांधी मित्र योजना, , हस्तकला/पावरलूम सम्बंधित सम्बंधित समस्त कार्य	12701
38	भारत लाल प्रजापति	अनुचर	अनुचर	10806
39	सुन्दर लाल	क0 लिपिक	स्टोर, डीजल इंजन, टेस्टिंग लैब, कम्प्यूटर कार्य । ,यूपीटीपीए0 कार्य , व निर्यात सम्बंधी समस्त कार्य	12701
40	श्री जगदीश प्रसाद	दफतरी	दफतरी	15347
41	हाकिम सिंह	अनुचर	अनुचर	13560

16– जन सूचना अधिकारी – श्री एस0एन0 तिवारी , पदनाम – महाप्रबन्धक

दूरभाष –01202712028

पता–महाप्रबन्धक , जिला उद्योग केन्द्र

ए–1 मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद

सहायक जन सूचना अधिकारी– श्री आर0पी0 सिंह पदनाम – प्रबन्धक

दूरभाष –01202712028

पता–महाप्रबन्धक , जिला उद्योग केन्द्र

ए–1 मेरठ रोड औद्योगिक क्षेत्र गाजियाबाद

प्रथम अपील अधिकारी– संयुक्त निदेशक उद्योग ,

प0क्षे0 , सूरजकुण्ड मेरठ । दूरभाष सं0 0121–2640683